



(2)

विक्रित सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के पेज सं. 103 वी0कोड 0331 के अनुसार दर 80,00,000 /-
रूपया प्रतिहेक्टेयर

स्टाम्प का कुल योग - 36,000 /- रूपया जरिये ई-स्टाम्प नं0

IN-UP67895918652032V अदा किया गया है।

दस्तावेज का प्रकार - बैनामा

सरकारी मालियत - 5,09,000 /- रूपया से अधिक नहीं है।

विक्रय मूल्य - 5,09,000 /- रूपया जरिये आर0टी0जी0एस0 यश
बैंक झांसी के द्वारा प्राप्त कर लिये है।

मौजा - मैरी

ब्लाक - बड़ागाँव

K. N. Gupta



हरिहर



विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6760

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 509000 स्टाम्प शुल्क- 36000 बाजारी मूल्य - 509000 पंजीकरण शुल्क - 5090 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 5150

श्री छत्रपाल सिंह यादव,
पुत्र श्री शिशुपाल सिंह यादव
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 466/10, नेहरूपार्क के सामने मसीहागंज, तहसील व जिला झाँसी



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/07/2023 एवं 04:31:46 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक :सदर द्वितीय
झाँसी
24/07/2023

निबंधक लिपिक
24/07/2023

प्रिंट करें



(3)

- सम्पत्ति का प्रकार - कृषिकीय
मापन की इकाई - हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0636 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति - विक्रित आराजी झांसी से जाने वाले कानपुर ग्वालियर बाईपास से
व आबादी से 300 मीटर से अधिक दूर स्थित है व किसी भी
सर्वरुद्धतु मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।
पेड़ों का मूल्यांकन - कोई पेड़ नहीं है।
बोरिंग/कुआँ/अन्य - कोई कुआ नहीं है।

K. N. Gupta



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6760

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री अजय कुमार गुप्ता के द्वारा कैलाश नारायन गुप्ता, पुत्र श्री स्व० मोहन लाल गुप्ता

निवासी: 69, करिअप्पा मार्ग बी०एस०एन०एल० एक्सचेंज के सामने कैण्ट, तहसील व जिला झाँसी

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1

K. S. Gupta



श्री छत्रपाल सिंह यादव, पुत्र श्री शिशुपाल सिंह यादव

निवासी: 466/10, नेहरूपार्क के सामने मसीहागंज, तहसील व जिला झाँसी

व्यवसाय: व्यापार

Ex. 1. 10/10



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अरविन्द श्रीवास्तव, पुत्र श्री पी०डी० श्रीवास्तव

निवासी: 870, शिवाजी नगर डडियापुरा, जिला झाँसी

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

Signature



श्री अखलेश सिंह, पुत्र श्री अच्छेलाल

निवासी: 210 नईबस्ती, तहसील व जिला झाँसी

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 1


Signature



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक : सदर द्वितीय
झाँसी
24/07/2023

निबंधक लिपिक झाँसी
24/07/2023



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

प्रिंट करें

(4)

प्रथम पक्ष की संख्या - एक

द्वितीय पक्ष की संख्या - एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष- श्री कैलाश नारायण गुप्ता पुत्र स्व० श्री मोहन लाल गुप्ता निवासी- 69, करिअप्पा मार्ग बी०एस०एन०एल० एक्सचेंज के सामने कैण्ट, तहसील व जिला झाँसी (पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 8722 से की गई है) वहैसियत मुख्तारआम अपने पुत्र श्री अजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश नारायण गुप्ता निवासी - 69, करिअप्पा मार्ग कैण्ट, तहसील व जिला झाँसी पेन नं० AJKPG9595R मो०नं० 9936797624

नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष- श्री छत्रपाल सिंह यादव पुत्र श्री शिशुपाल सिंह यादव निवासी- 466/10, नेहरूपार्क के सामने मसीहागंज, तहसील व जिला झाँसी (पहचान, आधार सं० XXXX XXXX 4944 से की गयी है) पेन नं० ACTPY0246K मो०नं० 9455516664

K.N. Gupta



छत्रपाल सिंह



(5)

सम्पत्ति का विवरण :- आराजी भूमिधरी वाकै मौजा मैरी ब्लाक बड़ागाँव परगना व जिला झाँसी जिसका आराजी नम्बरान व रकवा जैल में दर्ज हैं। दस्तावेज हाजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित आराजी नम्बरान वरंग लाल से दर्शाये गये है जो बैनामा के अंश भाग है। वयशुदा आराजी ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। विक्रित आराजी विक्रेता ने जरिये बैनामा रजिस्ट्री दिनांक 10.02.2006 ई0 को श्री रामकिशुन पुत्र श्री लक्ष्मण से क्रय की थी जिसकी रजिस्ट्री वही नं0 1 जिल्द संख्या 2937 के पृष्ठ 375 / 398 पर क्रमांक 797 पर सबरजिस्ट्रार कार्यालय झाँसी में दर्ज है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।

यह कि श्री अजय कुमार गुप्ता ने अपने पिता श्री कैलाश नारायन गुप्ता को उक्त सम्पत्ति की देख-रेख के साथ ही जरिये मुख्तारनामा आम वय हिवा रहिन आदि के भी अधि कार प्रदान किये हैं मुख्तारनामा की रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झाँसी में वही नं0 4 जिल्द सं. 42 के पृष्ठ सं0 1 / 10 पर क्रमांक 60 दिनांक 28.09.2007ई0 दर्ज हैं जिससे मुझ विक्रेता को उक्त सम्पत्ति हस्तान्तरित करने के पूर्ण हक हाँसिल हैं मुख्तारनामा का खण्डन नहीं किया गया है तथा मुख्तार नियोक्ता अभी जीवित हैं। मुख्तारकर्ता को धनराशि चेक द्वारा प्राप्त हो चुकी है।

K.N. Gupta



हस्ताक्षर



(6)

<u>खाता संख्या</u>	<u>आराजी नम्बर</u>	<u>रकवा</u>
00206	233	0.130 हे०
	234	0.061 हे०

कुल 2 किता रकवा 0.191हे० का 1/3 भाग यानि रकवा 0.0636हे० यानि अपना सम्पूर्ण भाग वय किया गया है।

चौहद्दी -

- पूर्व - जमीन क्रेता
- पश्चिम - जमीन क्रेता
- उत्तर - जमीन क्रेता
- दक्षिण - जमीन क्रेता

K. N. Goyal



Handwritten signature or mark.



(7)

मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूं, जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है कब्जा दखल मालिकाना आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूवी मौके पर करा दिया है, कागजात मालिकान से हमारा नाम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें, आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा व मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा होगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। यदि विक्रेता या क्रेता द्वारा तहरीरशुदा दस्तावेज में किन्ही तथ्यों को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकद्दमों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी, माल, राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादों का दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा, सब रजिस्ट्रार, वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, टाईपकर्ता या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नहीं होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तथा बिना किसी जबर या दबाव के यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें।

K. N. Gopal




हस्ताक्षर





(8)



दिनांक : 24-07-2023

प्रारूपकर्ता : राजकुमार पाठक, दस्तावेज लेखक, तहसील झाँसी
टाईपकर्ता - रवि

K. N. Singh




गवाह (1) श्री अरविन्द श्रीवास्तव पुत्र श्री पी०डी० श्रीवास्तव निवासी- 870, शिवाजी नगर
डडियापुरा, जिला झाँसी (पहचान आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 8767 से की गई है)
मो०नं० 9936797631

गवाह (2) श्री अखलेश सिंह पुत्र श्री अच्छेलाल निवासी- 219 नईबस्ती, तहसील व जिला
झाँसी (पहचान वोटर कार्ड सं० DCT4032454 से की गई है) मो०नं० 8881501871

राजकुमार पाठक दस्तावेज लेखक
तहसील व जिला-झाँसी
अनुज्ञप्ति संख्या-90
दिनांक 31-03-2024
ली गई फीस.....

हस्ताक्षर



विकेता- श्री नैलाश चारापण गुप्ता

केता- श्री वसुदेव सिंह भादव

समपत्ति - एक किता खेत

स्थित - मंत्री

चौहद्दी-

E. १

W. २

N. ३

S. ४

12. N. 12/2

विकेता





केता

वसुदेव सिंह

नक्शा - नजरी

बिक्रेता का नाम श्री. क. नारायण चंद्रा 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित
क्रेता का नाम श्री. बरप्रकाश सिंह थापत सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र
मोजा मैरी 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)
तहसील, परगना व जिला झाँसी से प्रदर्शित है।
भूमि नम्बर : 233, 234



Er. Mohd. Hantj
App. By J.D.A.
Lic. No.
Sangam Vihar Colony, Jhansi


K.N. Goyal
हस्ताक्षर

बिक्रेता
हस्ताक्षर

आवेदन सं०: 202300860020236

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10272 के पृष्ठ 289 से 308 तक क्रमांक 6760 पर
दिनांक 24/07/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


विवेक कुमार श्रीवास्तव
उप निबंधक : सदर द्वितीय
झांसी
24/07/2023

